**पंजीकृत डाक से, पावती सहित**

सं.2770/एफएए/2014-15/ए-12 22 अगस्त, 2014

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारीभारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)अपील सं.: 12/2014-15**

**श्री गुलशेर अहमद के दिनांक 14/06/2014 के आरटीआई आवेदन के संबंध में सिडबी के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के दिनांक 15/07/2014 के आदेश सं.1276 के विरुद्ध श्री गुलशेर अहमद द्वारा अपने 28/07/2014 के पत्रादि के जरिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील**

**पृष्ठभूमि :**

श्री गुलशेर अहमद, पूर्व अध्यक्ष, नगर पंचायत मानिकपुर, शास्त्री नगर, मानिकपुर, जिला चित्रकूट, उ.प्र., द्वारा उनके दिनांक 14/06/2014के आवेदन द्वारा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, सिडबी द्वारा लोन प्रदान किये जाने के संबंध में निर्धारित आहर्ताये व मापदण्ड आदि से संबंधित सात मदों पर सूचना मांगी गई थी | बैंक के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण उनके दिनांक 15/07/2014के आदेश सं.1276 द्वारा किया गया | उपरोक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अपील दिनांक 28/07/2014 (प्राप्त 05/08/2014 को) दायर की है |

***…2/-..***

**: 2 :**

**निर्णय :**

मैंने आवेदनकर्ता के दिनांक 14/06/2014 के आवेदन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 15/07/2014 के आदेश सं. 1276 व मामले में दायर दिनांक 28/07/2014 की अपील का भलीभांति अवलोकन किया, और पाया कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गई सभी सात मदों पर उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवा दी गई है | अपील में उठाए गए मुद्दे वास्तव में अतिरिक्त सूचनाये है जो कि आवेदनकर्ता को प्रदान की गई सूचना के आधार पर उठाए है | आवेदनकर्ता को उनके दिनांक 14/06/2014 के आवेदन के अंतर्गत मांगी गई जानकारी उपलब्ध केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है | अर्थात उनके उपरोक्त आवेदन का समुचित निस्तारण किया जा चुका है | अतिरिक्त सूचना, जो कि वर्तमान अपील के माध्यम से मांगी गई है, मुख्य आवेदन में न होने के कारण, अपील की क्षेत्र से बाहर है | इसलिए उनकी यह अपील रद्द की जाती है |

आवेदक अगर चाहे तो अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को अलग से आवेदन कर सकते है |

आदेश तदानुसार ।

**[शैलेन्द्र महलवार]मुख्य महाप्रबंधक (विधि) तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**

दिनांक 22/08/2014 का पृष्ठांकन सं.2770ए/एफएए/2014-15/ए-12

1) श्री गुलशेर अहमद, पूर्व अध्यक्ष, नगर पंचायत मानिकपुर, शास्त्री नगर, मानिकपुर, जिला चित्रकूट, उ.प्र.

2) श्री उ.शं. लाल, महाप्रबंधक एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सिडबी, प्रधान कार्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

**[ एस.बी. साहू ]**

**सहा. महाप्रबंधक (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय)**